न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः-96/11

1- रामचरन पुत्र हरेत, जाति गुर्जर, निवासी नगला रूपराम, मजरा हरनगर, तह0 बयाना जिला-भरतपुर (मृतक)

1/1- लक्ष्मनसिंह पुत्र स्व0 रामचरन

1/2- लाखनसिंह पुत्र स्व0 रामचरन

1/3- ध्रुवसिंह पुत्र स्व0 रामचरन

सभी जाति गुर्जर, निवासी नगला रूपराम, तह0 बयाना

1/4 रामा पत्नि स्व0 हरीराम पुत्री स्व0 रामचरन, जाति गुर्जर, निवासी गाडौनी, तह0 व जिला भरतपुर

1/5 कमला पत्नि चतरसिंह पुत्री स्व0 रामचरन, जाति गुर्जर, निवासी गौलोनी, तह0 वैर, जिला भरतपुर

1/6 लक्ष्मी पत्नि वीरेन्द्र पुत्री स्व0 रामचरन, जाति गुर्जर, निवासी गौलोनी, तह0 वैर, जिला भरतपुर

2- श्रीराम पुत्र हरेत, जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम, मजरा हरनगर, तह0 बयाना जिला-भरतपुर (मृतक)

2/1 नत्थीसिंह पुत्र स्व0 श्रीराम जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम, मजरा हरनगर, तह0 बयाना जिला-भरतपुर

2/2 हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्रीराम जाति गुर्जर निवासी नगला रूपराम, मजरा हरनगर, तह0 बयाना जिला-भरतपुर

---वादीगण

बनाम

शीलादेवी पत्नि रामेश्वर, जाति गुर्जर, निवासी नगला रूपराम, मजरा हरनगर, तह0 बयाना, जिला भरतपुर

-----प्रतिवादिनी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188 राज.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांकः- 04/09/2025

उपस्थितिः- श्री मनोज पटेल एड0 वादीगण

वादीगण द्वारा यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि खेवट खातौनी संख्या नयी 40 पुरानी 40 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 60 रकवा 0.06, 64 रकवा 0.04, 71 रकवा 0.11, 91 रकवा 0.05, 128 रकवा 0.17, 129 रकवा 0.07, 130 रकवा 0.20, 131 रकवा 0.17, 137 रकवा 0.19, 151/290 रकवा 0.08, 169/294 रकवा 0.09, 203 रकवा 0.19, 204 रकवा 0.14, 208 रकवा 0.26, 209 रकवा 0.27, 216 रकवा 0.22, 217 रकवा 0.22, 225 रकवा 0.36, 226 रकवा 0.26, 277 रकवा 0.11, 280/291 रकवा 0.14 हैक्ट. कुल किता 21 कुल रकवा 3.40 हैक्ट वाके ग्राम नगला रूपराम मजरा हरनगर तहसील बयाना में स्थित है। जिसके वादीगण न्यारान्यूर खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है व राजलगान अदा करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जो पीढी दर पीढी चली आ रही है जिसकी चारो तरफ से सैकडों वर्ष पुरानी डौल मेढ कायम है। निर्विवाद शान्तिपूर्वक रवी में गेहूं व सरसों की फसल व खरीफ में बाजरा, ज्वार, ग्वार की फसल पैदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादिनी का उक्त वर्णित भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और ना ही इस वक्त है। प्रतिवादिनी लठैत व सरगना परिवार की महिला है जिसकी नियत में फरक आ गया है, लटठ की ताकत से वह वादीगण की उक्त आराजी की डौल मेढ को तोडना चाहती है व अपने खेत खसरा नम्बर 166, 167 व 168 में मिलाना चाहती है जैसा कि प्रतिवादिनी ने कल दिनांक 13.

06.2011 को बमुकाम विवादित आराजी वादीगण को उक्त वर्णित भूमि की डौल मेढ तोडने की व अपने खेत में मिलाने की नाजायज धमकी दी है। यदि प्रतिवादिनी अपनी धमकी में कामयाब हो गयी तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपये पैसों से नही हो सकेगी। बिनाय मुखासमत दावी हाजा प्रतिवादिनी द्वारा वादीगण को उक्त वर्णित आराजीयात की डौल मेढ तोडने व अपनी आराजी में मिला लेने की धमकी दिये जाने पर दिनांक 13.06.2011 को पैदा हुई है। अन्त में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बरान 60 रकवा 0.06, 64 रकवा 0.04, 71 रकवा 0.11, 91 रकवा 0.05, 128 रकवा 0.17, 129 रकवा 0.07, 130 रकवा 0.20, 131 रकवा 0.17, 137 रकवा 0.19, 151/290 रकवा 0.08, 169/294 रकवा 0.09, 203 रकवा 0.19, 204 रकवा 0.14, 208 रकवा 0.26, 209 रकवा 0.27, 216 रकवा 0.22, 217 रकवा 0.22, 225 रकवा 0.36, 226 रकवा 0.26, 277 रकवा 0.11, 280/291 रकवा 0.14 हैक्ट. कुल किता 21 कुल रकवा 3.40 हैक्ट वाके ग्राम नगला रूपराम मजरा हरनगर तहसील बयाना से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादिनी को पाबन्द किये जाने कि वह उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, कोई डौल मेढ न तोडे व न कोई निशानात कायम करे तथा ऐसा कोई कार्य न करे जिससे वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई बाधा पैदा हो। वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादिनी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादिनी ने जबाव दावा पेश कर दावे की अधिकांश मदों को अस्वीकार करते हुये अपने विशेष विवरण में अंकित किया है कि दावा बिना वाद कारण के दायर किया है अतः चलने योग्य नहीं है। दावे में ऑर्डर सीपीसी में मैन्डेटरी प्रावधानो की पूर्ति तक नहीं की गई है अतः यह दावा दावे की परिभाषा में नहीं आता है व निरस्त योग्य है। यह दावा वादीगण ने अपनी आराजीयात किता 21 रकवा 3.40 हैक्ट. के स्थान पर 4 हैक्ट. को दबा रखा है की नाजायज मंशा को पालना को दायर किया है अतः चलने योग्य नहीं है। दावा वादीगण फरदर व वेटर पर्टीक्यूलस का मुहताज होने से निरस्त योग्य है। वादीगण के दावे का आधार सत्यता नहीं होने से दावा निरस्त योग्य है। किसी भी दावे के द्वारा व स्टे के द्वारा काश्तकार के रकवे की सुरक्षा का कानून है कि वादीगण के 3.40 हैक्ट रकवे की सुरक्षा की जा सके परन्तु इस दावे में वादीगण ने 4 हैक्ट. भूमियों को नाजायज दवा रखा है तथा प्रतिवादिनी के खसरा नम्बर 166, 167, 168 के रकवे को भी नाजायज रूप से दबाने का षडयंत्र करके यह दावा अवैध रूप से पेश किया है जो निरस्त योग्य है।

दावा जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादीगण वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 मे वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है व काबिज आराजी है।
2. आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 02 अनुसार प्रतिवादी ने वादीगण को दिनांक 13.06. 2011 को धमकी दी है।
3. आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 6, 7, 8, 9, 10 के अनुसार वाद वादीगण निरस्त योग्य है।
4. आया वाद वादीगण फरदर व वेटर पर्टीक्यूलर्स का मुहताज होने से निरस्त योग्य है।
5. दादरसी

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2064–67, मौखिक साख्य में PW 1 लाखनसिंह, PW 2 लक्ष्मणसिंह के शपथ पत्र पेश हुये। प्रतिवादीगण के विरूद्व दिनांक 05.03.2021 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं हुई।

हमने विद्वान अभिभाषक एड0 वादी को एकपक्षीय सुना। एड0 वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

तनकीबार विवेचन निम्नानुसार हैः–

तनकी नम्बर 01:– आया वादीगण वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 मे वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है व काबिज आराजी हैः– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है। जमाबन्दी सम्वत 2064–67 (प्रदर्श 1) अनुसार विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी के दर्ज अभिलेख है। मौखिक साक्ष्य में PW 1 लाखनसिंह ने यह अंकित

कराया है कि विवादित आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है। जिसकी चारो तरफ सैकड़ों वर्षों से पुरानी डौल मेढ कायम है। प्रतिवादिनी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। दिनांक 13.06.2011 को प्रतिवादिनी ने वादीगण को धमकी दी है। PW 2 लक्ष्मण ने अपने बयानों मे विवादित आराजी के हम वादीगण पिता रामचरन के वारिसान न्यारान्यूर खातेदार, काश्तकार काबिज आराजी है। राजलगान अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पैतृक आराजी है। वादीगण शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 13.06.2011 को बमुकाम प्रतिवादिनी ने वादीगण को धमकी दी है। PW 3 ध्रुवसिंह ने भी विवादित आराजी वादीगण के पिता की खातेदारी काश्तकारी आराजी होना एवं 13.06.2011 को प्रतिवादिनी द्वारा वादीगण को विवादित आराजी के डौल मेढों को तोड़कर अपनी आराजी में मिलाने की धमकी दी है, अंकित किया है। प्रतिवादिनी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादिनी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 02ः– आया वाद पत्र की खण्ड संख्या 02 अनुसार प्रतिवादी ने वादीगण को दिनांक 13.06.2011 को धमकी दी हैः– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है। चूकि तनकी नम्बर 01 वादीगण के पक्ष में तय हो चुकी है। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों से भी स्पष्ट है कि दिनांक 13.06.2011 को प्रतिवादिनी द्वारा वादीगण को धमकी दी है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादिनी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 03ः– आया उत्तरवाद की खण्ड संख्या 6, 7, 8, 9, 10 के अनुसार वाद वादीगण निरस्त योग्य हैः– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादिनी का था। प्रतिवादिनी के विरूद्व दिनांक 05.03.2021 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वाद एकपक्षीय कार्यवाही में कभी भी प्रतिवादिनी द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2021 बाबत एकतरफा मन्सूखी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। जिस कारण प्रतिवादिनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादिनी तय की जाती है।

तनकी नम्बर 04ः– आया वाद वादीगण फरदर व वेटर पर्टीक्यूलर्स का मुहताज होने से निरस्त योग्य हैः– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादिनी का है। चूकि तनकी नम्बर 1, 2, 3 वादीगण के पक्ष मे तय हो चुकी है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादिनी तय की जाती है।

चूंकि तनकी नम्बर 1, 2, 3 ,4 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादिनी तय हो चुकी है। वाद वादीगण डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादिनी एकपक्षीय डिक्री किया जाता है। प्रतिवादिनी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वह विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान 60 रकवा 0.06, 64 रकवा 0.04, 71 रकवा 0.11, 91 रकवा 0.05, 128 रकवा 0.17, 129 रकवा 0.07, 130 रकवा 0.20, 131 रकवा 0.17, 137 रकवा 0.19, 151/290 रकवा 0.08, 169/294 रकवा 0.09, 203 रकवा 0.19, 204 रकवा 0.14, 208 रकवा 0.26, 209 रकवा 0.27, 216 रकवा 0.22, 217 रकवा 0.22, 225 रकवा 0.36, 226 रकवा 0.26, 277 रकवा 0.11, 280/291 रकवा 0.14 हैक्ट. कुल किता 21 कुल रकवा 3.40 हैक्ट वाके ग्राम नगला रूपराम मजरा हरनगर तहसील बयाना की डौल मेडो को नहीं तोडें। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना